



महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

वेब-साइट: www.upefa.com

ई-मेल: upefaspo@gmail.com

दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128



प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ०प्र०
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

पत्रांक: रा०प०नि०/

/2021-22/लखनऊ

दिनांक: ०८ फरवरी, 2022

विषय- एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के सम्बन्ध में नवीन यू-डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि "कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण-पत्र अपलोड कर प्रेषित करें"।

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग-6 के शासनादेश संख्या-419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु- 15 में उल्लिखित निर्देश "प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है" के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू-डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार-प्रसार के अभाव में यू-डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू-डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकन: रा०प०नि०/5654/2021-22/लखनऊ/तददिनांक

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पाठ शैक्षिक संस्थाओं के यू-डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट-एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)

राज्य परियोजना निदेशक।

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा
पत्रांक / 12624-29 / 2019-20 दिनांक 31-03-2020

प्रबन्धक

प्रेम पब्लिक स्कूल इसौली मार्ग जलेसर

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/ महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में मान्यता समिति की दिनांक 30.03.2020 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रेम पब्लिक स्कूल इसौली मार्ग जलेसर (अंग्रेजी माध्यम) को दिनांक 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 1 से कक्षा 5 तक संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/सबधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - (i) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।
 - (iii) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशुल्कता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताये अर्जित करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार है-

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्रधानाध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, बालक और बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधा रहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।
11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक जो दिया गया है, कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. स्कूल सुरक्षा नीति के अनुसार -

विद्यालय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जाये, जिसमें आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सामग्री भी उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जाये कि दवाओं की एक्सपायरी की समय-समय पर जाँच हो। अति ज्वलनशील सामग्री जैसे कैंरोसिन आयल, तेजाव, पेट्रोल एवं एलपीजी गैस सभी सुरक्षित तरीके से स्टोर में तथा बच्चों से दूर हो।

प्रत्येक विद्यालय में इमरजेंसी नम्बरों यथा पुलिस के लिये 100, अग्निशमन केन्द्र के लिये 101, एम्बुलेन्स के लिये 102, इमरजेंसी के लिये 108, महिला हैल्पलाइन के लिये 1090 एवं चाइल्ड लाईन के लिये 1098 नम्बर के साथ-साथ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के नम्बर विद्यालयों की दीवारों पर अंकित कराये जाये।

विद्यालय प्रबन्ध समिति को विद्यालय सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षित कर दक्ष बनाया जायेगा।

विद्यालय स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के टास्क फोर्स जैसे खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, सूचना चेतावनी एवं जनजागरूकता, जल स्वच्छता एवं बाल सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन कराया जाये।

प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय आपदा समिति का गठन कराया जायेगा और समय समय पर विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें आपदा एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एवं इनसे बचाव के उपायों पर चर्चा की जायेगी एवं प्रभावी रणनीति बनायी जायेगी।

18. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

A शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं कर्मचारी पद अनुमन्य होंगे।

B विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित (अंग्रेजी माध्यम) पाठ्यक्रम से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

C विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।

D शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

(संजय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा
31/03/2020

पृ0सं0 / _____ / 2019-20 दिनांक वही।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ
- 2- सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद
- 3- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ़
- 4- जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एटा।
- 5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा
पत्रांक / 6399-6404 / 2020-21

दिनांक 08-02-2021

प्रबन्धक

प्रेम पब्लिक स्कूल निकट रोडवेज बस स्टैण्ड

इसौली मार्ग जनेसर एटा

विषय- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम(4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय/महोदया,

आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश के क्रम में मान्यता समिति की दिनांक 30.01.2021 की बैठक में लिये गये निर्णयानुसार शासनादेश संख्या 89/अरसठ-3-2018-2041/2018 बेसिक शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 एवं शासनादेश संख्या 196/अडसठ-3-2020-41/2018 दिनांक 29.06.2020 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रेम पब्लिक स्कूल निकट रोडवेज बस स्टैण्ड इसौली मार्ग जनेसर एटा (अंग्रेजी माध्यम) को दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिये कक्षा 6 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सबधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षण अधिकार अधिनियम 2010 उपाबन्ध 1 और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 उपाबन्ध 2 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के प्रतिशत एवं पास पडोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालयों को धारा 12 की उपधारा 2 के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा, ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - (I) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (II) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नहीं किया जायेगा।
 - (III) शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
- (IV) शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
- (V) अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- (VI) अध्यापक अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ कर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन होगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथा विनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं-

क्रीडा-स्थल का क्षेत्रफल, कक्षाओं की संख्या, प्राध्यापक सह कार्यालय सह भण्डार कक्ष, बालक और बालिकाओं के लिये प्रथक-प्रथक शौचालय, पेयजल सुविधा, मिड डे मील पकाने के लिये रसोई बाधारहित पहुँच, अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षायें नहीं चलाई जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जाये।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक जो दिया गया है, कृपया नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।
17. स्कूल सुरक्षा नीति के अनुसार -

विद्यालय स्तर पर प्राथमिक चिकित्सा किट रखी जाये, जिसमें आवश्यक दवाओं के साथ प्राथमिक उपचार के उपकरण एवं सामग्री भी उपलब्ध हो, सुनिश्चित किया जाये कि दवाओं की एकसपायरी की समय-समय पर जाँच हो। अति ज्वलनशील सामग्री जैसे कैरोसिन आयल, तेजाव, पेट्रोल एवं एलपीजी गैस सभी सुरक्षित तरीके से स्टोर में तथा बच्चों से दूर हो।

प्रत्येक विद्यालय में इमरजेंसी नम्बरों यथा पुलिस के लिये 100, अग्निशमन केन्द्र के लिये 101, एम्बुलेन्स के लिये 102, इमरजेंसी के लिये 108, महिला हैल्पलाइन के लिये 1090 एवं चाइल्ड लाईन के लिये 1098 नम्बर के साथ-साथ जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, उप जिलाधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी एवं विभागीय अधिकारियों के नम्बर विद्यालयों की दीवारों पर अंकित कराये जाये।

विद्यालय प्रबन्ध समिति को विद्यालय सुरक्षा एवं बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर प्रशिक्षित कर दक्ष बनाया जायेगा।

विद्यालय स्तर पर शिक्षकों एवं बच्चों को मिलाकर विभिन्न प्रकार के टास्क फोर्स जैसे खोज एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, अग्नि सुरक्षा, सूचना चेतावनी एवं जनजागरूकता, जल स्वच्छता एवं बाल सुरक्षा टास्क फोर्स का गठन कराया जाये।

प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय आपदा समिति का गठन कराया जायेगा और समय समय पर विद्यालय आपदा प्रबन्ध समिति की बैठक आहूत की जायेगी जिसमें आपदा एवं बाल सुरक्षा से जुड़े मुद्दे एवं इनसे बचाव के उपायों पर चर्चा की जायेगी एवं प्रभावी रणनीति बनायी जायेगी।

18. संलग्न उपबन्धों के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

A शासनादेश में नियत मानकों के अनुसार आपके विद्यालय हेतु प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक एवं कर्मचारी पद अनुमन्य होंगे।

B विद्यालय में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा निहित (अंग्रेजी माध्यम) पाठ्यक्रम से भिन्न पाठ्यक्रम में न तो शिक्षा दी जायेगी न तो पाठ्य पुस्तकों का उपयोग किया जायेगा।

C विद्यालय में शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित दरों के अनुकूल ही शुल्क लिया जायेगा।

D शासकीय/विभागीय आदेशों का पालन न करने एवं गलत तथ्यों के प्रकाश में आने की स्थिति में मान्यता प्रत्याहरण/समाप्ति का अधिकार उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद को होगा।

(संजय सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा
08/02/2021

पृ0सं0 / /2020-21 दिनांक वही।
प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 लखनऊ

2-सचिव उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद

3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक अलीगढ़

4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी
एटा।

5- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी